उत्तर प्रदेश शासन

नागरिक उड्डयन अनुभाग

संख्या-75/2017/1092/छप्पन-2017-56/2017

लखनऊ : दिनांक : 19 सितम्बर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

नागरिक उड्डयन विभाग में कार्यरत समूह-'क' एवं समूह-'ख' के कार्मिकों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किए जाने के मामलों का परीक्षण करने के लिए शासनादेश संख्या-13/48/85-कार्मिक-1 दिनांक 26 अक्टूबर, 1985 में विहित व्यवस्थानुसार निम्नलिखित स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) सचिव/प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन — अध्यक्ष

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 — सदस्य

(3) मुख्य सचिव द्वारा नामित एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में विशेष सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन। — सदस्य

2- स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 26 अक्टूबर, 1985 के आलोक में कार्यवाही करते हुए अपनी संस्तुतियां उपलब्ध कराई जाएंगी।

एस0पी0 गोयल
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-75/2017/1092(1)/छप्पन-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के निजी सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन के निजी सचिव को प्रमुख सचिव के सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन के निजी सचिव को प्रमुख सचिव/सचिव के सूचनार्थ।
4. निदेशक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0।
5. गार्ड फाइल/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी।

आज्ञा से,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in